न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
57 / 2022	09.12.2022	11.03.2026

1. सुखराम पुत्र भौरया, कोली निवासी बाढ टटवाडा तह० तलावडा (मृतक)
1/1. हरेन्द्र प्रसाद पुत्र सुखराम, कोली निवासी बाढ टटवाडा तह० तलावडा
1/2 रामनरेश पुत्र सुखराम, कोली निवासी बाढ टटवाडा तह० तलावडा
1/3 धनबाई पत्नी सुखराम, कोली निवासी बाढ टटवाडा तह० तलावडा
3. सुगन पुत्र भौरया, कोली निवासी बाढ टटवाडा तह० तलावडा (मृतक)
3/1 महेश कुमार पुत्र सुगन, कोली निवासी बाढ टटवाडा तह० तलावडा
3/2 चंदन कुमार पुत्र सुगन , कोली निवासी बाढ टटवाडा तह० तलावडा
3/3 हरिशंकर पुत्र सुगन, कोली निवासी बाढ टटवाडा तह० तलावडा
4. सुरेन्द्र कुमार पुत्र छुट्टन, कोली निवासी बाढ टटवाडा तह० तलावडा
5. मु० सुखबाई बेबा छुट्टन, कोली निवासी बाढ टटवाडा तह० तलावडा

—वादीगण

बनाम

1. श्रीलाल पुत्र कोरया, गुर्जर निवासी बाढ टटवाडा तह० तलावडा
2. कुन्जा पुत्र मोती, गुर्जर निवासी बाढ टटवाडा तह० तलावडा (मृतक)
2/1 मन्नू पुत्र कुन्जा, गुर्जर निवासी बाढ टटवाडा तह० तलावडा
2/2 रामकुंवार पुत्र कुन्जा, गुर्जर निवासी बाढ टटवाडा तह० तलावडा
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा

—प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री बाबूलाल गुप्ता, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.08 14:48:32 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम बाढ टटवाडा तहत तहसील गंगापुरसिटी में आराजी ख० नं० 99 रकबा 15 विस्वा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)

भूमि एकीकरण संवत 2019 में स्थित रही है जिसका की वर्तमान में खसरा नं० 180 रकबा 16 एयर कायम किया गया है। संवत 2003 लगायत 2022 में खसरा नं0 132 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी दर्ज रहा, जिसका मिलान क्षेत्रफल में 132/1 रकबा 15 बिस्वा कायम किया गया है। संवत 1991 लगायत 2008 में ख0 नं० 125 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा कायम किया गया है। जिसका मिलान क्षेत्रफल में 125 मिन रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा से दर्शाया गया है। भूमि हाल ख0 नं० 180 रकबा 16 एयर जिसका भूमि एकीकरण मे ख0न0 11 रकबा 15 विस्वा व सं० 2003 लगायत 2022 में ख0 नं० 132/1 रकबा 15 विस्वा व सं० 1991 लगायत 2001 में ख0 नं० 125 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा कायम किया गया है। उक्त भूमि वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि रही है। लैन्ड रिकोर्ड रेवेन्यू में इन्द्राज वादीगण के बुजुर्गान व वादीगण के नाम दर्ज है। खसरा गिरदावरी सं० 2008 में ख0 नं0 132 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा मे काश्त दर्ज है व सं0 2009 में भी काश्त दर्ज है। सं0 2010 व 2011 व 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 मे कोरया पुत्र जुगल्या माफिक बदस्तूर गिरदावरी के खाना नं0 32 मे दर्ज है। सं० 2017 में भी कोरया पुत्र जुगल्या का नाम दर्ज है व काश्त दर्ज है। सं० 2018 में कोरया पुत्र जुगल्या का नाम दर्ज है। संवत 2030, 2031, 2032, 2033 में वादीगण की काश्त दर्ज है व वादीगण का नाम दर्ज है । रामफूल, सुगन, छुट्टन पिसरान भौरया कोली दर्ज है। वर्तमान में भी कब्जा काश्त वादीगण का बदस्तूर सावित चला आ रहा है। रेवेन्यू रिकोर्ड से वादीगण का कब्जा बखूबी साबित है। सं० 2019 में वादीगण का नाम का इन्द्राज खसरा नं० 11 रकबा 15 विस्वा पर रहन मुर्तहन दर्ज कर रखा है। संवत 2003 लगायत 2022 में भूमि सिवायचक का इन्द्राज दर्ज है [illegible] 1991 लगायत 2001 में भी इन्द्राज सिवायचक दर्ज है। रहन मुर्तहन [illegible] सं० 2019 में दर्ज रहा जिसको दिनांक 19—3—76 को [illegible] नं० 69 के द्वारा हटाया जाकर प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज खिलाफ कानून व कायदा दर्ज किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.08 14:48:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

गया, जबकि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से किसी किस्म का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं है न रहा है। नामान्तरकरण सं० 69 दिनांक 19—3—76 ख0 नं० 99 रकबा 15 विस्वा ग्राम बाढ टटवाडा का खिलाफ कानून व कायदा बिना वादीगण को सुने व बिना कब्जा मौका जांच किये कार्यवाही खिलाफ कानून व कायदा होने के कारण उक्त नामान्तरकरण मन्सूख फरमाया जावें । वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के पहले से ही चला आ रहा है। जिसका ताईद रेवेन्यू रिकार्ड व मौका करता है। प्रतिवादीगण ने सं0 2019 में इन्द्राज कोई करा लिया तो वह खिलाफ कानून व कायदा होने के कारण नल एण्ड वोइड है व हकूक वादीगण पर बेअसर है। गलत इन्द्राज का बर्तमान बन्दोवस्त में रहा व वादीगण के नाम इन्द्राज खातेदारी न करके प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज खातेदारी दर्ज करने में अहम कानूनी भूल की है। कानूनन वादीगण विवादित भूमि के काबिज काश्तकार खातेदार टिनेन्ट हो चुके है। विवादित भूमि शुरू से ही वादीगण की रही है, प्रतिवादीगण का विवादित भूमि ते कोई सम्बन्ध नही है। यदि कोई रहन मुर्तहन भी मानी जावें तो भी वादीगण का कब्जा 12 साल से अधिक समय से होने के कारण वादीगण विवादित भूमि के खातेदार टिनेन्ट हो चुके है। प्रतिवादीगण की कब्जा वापसी की मियाद भी समाप्त हो चुकी और वादीगण खातेदार टिलेन्ट हो गये। प्रतिवादीगण निहायती चालाक किस्म के व्यक्ति है, उन्होने बसाज रेवेन्यू अधिकारी व कर्मचारी से मिलकर विवादित भूमि का इन्द्राज कागजात सरकार लैन्ड रिकोर्ड रेवेन्यू मे गलत तौर से अपने नाम दर्ज कराया व नामान्तरकरण सं० 69 दिनांक 19—3—76 खिलाफ कानून व कायदा होने के कारण कार्यवाही जेरे नामान्तरकरण व आगामी कार्यवाही रेवेन्यू रिकोर्ड जमाबन्दी खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस नल एण्ड वोइड है। कानूनन एस.सी. कोली की भूमि कोल एस.सी स्वर्ण अन्य जाति के नाम नहीं हो सकती है। छुट्टन का इन्तकाल हो चुका है उत्ने वारिस उसका पुत्र सुरेन्द्र व उसकी बेवा सुखवाई है, जिनको पक्षकार मुकदमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.08 14:48:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
...पुर सिटी (स०मा०)

बनाया गया है। गलत इन्द्राज के कायम रहने से प्रतिवादीगण की नियत में गंदगी आ गई है और वे वादीगण को हैरान व परेशान करने लग गये है व जबरदस्ती भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है व विवादित भूमि को रहन बय करने पर तुले हुये है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को दिनांक 29—7—2001 को ग्राम बाढ टटवाडा तहसील गंगापुरसिटी को धमकी दी कि वे विवादित भूमि को रहन बय करेगें व जबरन भूमि पर कब्जा करेगें। अतः दावा बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर का डिक्री फरमाया जाकर घोषित फरमाया जावें कि वादीगण आराजी हाल बन्दोवस्त खसरा नं० 180 रकबा 16 एयर वाके ग्राम बाढ टटवाडा तहसील गंगापुरसिटी के काबिज काश्तकार खातेदार टिनेन्ट है। कागजात सरकार लैन्ड रिकोर्ड रेवेन्यू में बहक वादीगण इन्द्राज खातेदारी की दुरुस्ती की जावें, प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जावें, वर्तमान समस्त इन्द्राजात निरस्त फरमाये जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वे वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि हाल खसरा नं० 180 रकबा 16 एयर वाके ग्राम बाढ टटवाडा तहसील गंगापुरसिटी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें। गलत इन्द्राज की आड में उक्त भूमि को रहन बय नहीं करें न ही कृषि भूमि को अकृषि भूमि मे तब्दील करें, न ही किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करें। नामान्तरकरण सं० 69 दिनांक 19—3—76 ग्राम बाढ टटवाडा तहसील गंगापुरसिटी को नल एण्ड वोइड घोषित फरमाया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादीगण ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 180 व भूमि एकीकरण के संवत 2019 के साबिक 40 के नं० 99 होना स्वीकार है। शेष साबिक उसका [illegible] रिकार्ड की जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। विवादित भूमि शुरू से आज तक मिन प्रतिवादी व उनके बुजुर्गों को खातेदारी को व कब्जे काश्त व [illegible] रही है। विवादित भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.08 14:18:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

कभी भी वादीगण व उनके बुजुर्गों का कोई वास्ता नहीं रहा है। उक्त भूमि मिनप्रतिवादीगण व उनके बुजुर्गों की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसे शुरू से मिन प्रतिवादी व उनके बुजुर्गगान तक लगातार काश्त करते चले आ रहे है। खसरा गिरदावरी में वादीगण व उनके बुजुर्ग के हक में काश्त का यदि कोई इन्द्राज हुआ है तो वह सब गलत व फर्जी है। वादीगण कौरया के वारिस भी नहीं है। कौरया के पुत्र कैलाश, जगदीश है। जिन्होंने भी दावा उनवानी कैलाश वगैहरा बनाम श्रीलाल वगैहरा विवादित भूमि खसरा नम्बर 180 बाबत मिन प्रतिवादीगण के विरुद्ध अदालत हाजा में पेश कर रखी है। उस दावे मे अलग ही तथ्य बतलाये है। मिन प्रतिवादी में से प्रतिवादी संख्या 1 बाहर चर्चा करता था तथा प्रतिवादी हुन्या बुजुर्ग था। इस कारण विवादित भूमि कौरया की एक दो बार बट पर बतला दी थी। वादीगण को नियत में बेईमानी है वे अब भी उक्त भूमि पर बट पर लेना चाहते है। किन्तु मिन प्रतिवादी स्वयं ही काश्त करते रहे उन्हे बट पर नहीं दी। इस कारण वादीगण नाराज है। वादी नम्बर 1 ने उक्त भूमि के उपयोग उपभोग मे मिन प्रतिवादीगण को बाधा उत्पन्न की तो उन्हें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से अदालत हाजा ने पाबन्द कर दिया है जो टी०आई० रेवन्यू बोर्ड अजमेर तक से बहाल है। रहन मुर्तहन का इन्द्राज भी गलत दर्ज हो गया था। दिनांक 19–3–76 को नामान्तरकरण सं0 69 जो तस्दीक हुआ है। जिसे करीब 30 साल हो गये । परन्तु वादीगण ने आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं की है। वाद–पत्र का मद नम्बर 3 गलत है और स्वीकार नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 69 दिनांक 19–3–76 नियमानुसार सही तस्दीक किया गया है। जब उक्त भूमि वादीगण या किसी के भी कभी रहन मुर्तहन नहीं रही है। कब्जा भी प्रतिवादीगण का बदस्तूर चला आ रहा है और वादीगण की जानकारी में ही मजमे आम में उक्त नामान्तरकरण तस्दीक हुआ था। वादीगण व उनके बुजुर्गो का आज तक कभी भी उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीगण का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.08 14:48:32 IST
Reason: SelfAttested

है। प्रतिवादीगण के हक में खातेदारी इन्द्राज सही दर्ज हो रहा है। विवादित भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त को भूमि है जिसपर शुरु से आज तक प्रतिवादीगण काबिज है। उक्त भूमि वादीगण के कभी रहन नही रही है ना ही वादीगण का कोई कब्जा काश्त रहा है। वादीगण को उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। विवादित भूमि मे वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादीगण का विवादित भूमि पर कभी कोई कब्जा नही रहा है। प्रतिवादीगण के हक में खातेदारी इन्द्राज दर्ज हो रहा है। प्रतिवादीगण विवादित भूमि को अपने बुजुर्गों के समय से आज तक काश्त करते चले आ रहे है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावें।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध विभाग किता तीन प्रदर्श 1,2,3 नकल जमाबंदी संवत 2055—58 प्रदर्श 4, नकल जमाबंदी चकबंदी प्रदर्श 5, नकल जमाबंदी संवत 2039 प्रदर्श 6, नकल खतौनी जामबदी संवत 2039 प्रदर्श 7, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 8, 9, 10, 11,12, नकल नामान्तकरण संख्या 69 प्रदर्श 13, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 14, नकल जमाबंदी संवत 2039 प्रदर्श 15, नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध विभाग प्रदर्श 16, नकल जमाबंदी संवत 2059—62 प्रदर्श 17, नकल निर्णय तहसीलदार गंगापुर सिटी प्रदर्श 18, स्टाम्प शर्तमाना लिखावट 20 रूपये प्रदर्श 19, फोटोकॉपी प्रमाण पत्र सरपंच दिनांक 8.10.01 प्रस्तुत किये है एवं वादी सुखराम के बयान पी.डब्ल्यू. 1 एवं गवाह मन्नूलाल पीडब्ल्यू 2 कराये है।

जबाब के समर्थन मे वकील प्रतिवादी ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है।

वादपत्र एवं जबाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.08 14:48:32 IST
Reason: SelfAttested

1. आया भूमि ख०नं० 180 रकबा 16 एयर ग्राम बाढ टटवाडा में स्थित है जिसका एकीकरण में ख0नं0 99 रकबा 15 बिस्वा, इससे पूर्व ख०नं० 132 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, मिलान क्षेत्रफल में ख0नं0 132/1 रकबा 15 बिस्वा, इससे पूर्व ख0नं0 125 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा था । — वादीगण

2. आया एकीकरण में उपरोक्त भूमि का रहन गुर्तहन का इन्द्राज दर्ज था जिसे नामान्तरकरण संख्या 69 दिनांक 19.3.76 द्वारा गलत रूप से हटा जबकि विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त रहा है। —— वादीगण

3. आया वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त टीनेन्सी एक्ट पहले से ही चला आ रहा है एवं भूमि प्रतिवादीगण के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी गई है। — वादीगण

4. आया वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर विवादित भूमि की खातेदारी अपने नाम घोषित कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है । — वादीगण

5. आया प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर अपने बुजुर्गो के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं प्रतिवादीगण के नाम भूमि की खातेदारी सही रूप से दर्ज हुई है। — प्रतिवादी संख्या 1, 2

6. आया वादीगण, कोरया के वारिस नहीं है। विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोरया के पुत्र कैलाश, जगदीश ने एक दावा उनवानी कैलाश बनाम श्रीलाल वगैरा अदालत हाजा में पेश कर रखा है उस दावे में अलग ही तथ्य बताए गए हैं फलस्वरूप वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं है।

——प्रतिवादी नं0 1, 2

7. आया वादीगण को कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ है मियाद बाहर हैं फलस्वरूप दावा वादीगण चलने योग्य नहीं है ——प्रतिवादी नं0 1, 2

8. अनुतोष।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.08 14:48:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

प्रतिवादीगण ने विद्वान अभिभाषक ने जवाब के अनुरूप बहस करते हुए दावा खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि ख0न0 180 रकबा 16 एयर ग्राम बाढटटवाडा की एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी चाही है। इस भूमि के साबिक नम्बर 99 रकबा 15 बिस्वा रहे है वो पूर्व मे रामफूल, सुखराम, सुगन, छुट्टन पिता भौरया जाति कोली की मुर्तहिन दर्ज रही है एवं नामान्तकरण संख्या 69 दिनांक 19.3.76 के अनुसार यह भूमि रहन से बागुजास्त कर दी गई है एवं उसके पश्चात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चली आ रही है। इस वादग्रस्त भूमि ख0न0 180 पर वादीगण का निरन्तर एवं निर्विवाद कब्जा इसके पश्चात नही रहा है जबकि एडवर्स पजेशन के मामले मे भूमि पर निरन्तर एवं निर्विवाद कब्जा रहना आवश्यक है। फलस्वरूप वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.3.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0) सत्यमेव जयते

(बृजेन्द्र मीना)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.08 14:46:32 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई — Judi/Civil

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी) — Part IV-10

(Civil Procede Code, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

इजलास बृजेन्द्र मीणा, आर०ए०एस०

दरम्यान

1. सुखराम पुत्र भौरया, कोली निवासी बाढ टटवाडा तह0 तलावडा (मृतक)
1/1. हरेन्द्र प्रसाद पुत्र सुखराम, कोली निवासी बाढ टटवाडा तह0 तलावडा
1/2 रामनरेश पुत्र सुखराम, कोली निवासी बाढ टटवाडा तह0 तलावडा
1/3 धनबाई पत्नी सुखराम, कोली निवासी बाढ टटवाडा तह0 तलावडा
3. सुगन पुत्र भौरया, कोली निवासी बाढ टटवाडा तह0 तलावडा (मृतक)
3/1 महेश कुमार पुत्र सुगन, कोली निवासी बाढ टटवाडा तह0 तलावडा
3/2 चंदन कुमार पुत्र सुगन , कोली निवासी बाढ टटवाडा तह0 तलावडा
3/3 हरिशंकर पुत्र सुगन, कोली निवासी बाढ टटवाडा तह0 तलावडा
4. सुरेन्द्र कुमार पुत्र छुट्टन, कोली निवासी बाढ टटवाडा तह0 तलावडा
5. मु0 सुखबाई बेबा छुट्टन, कोली निवासी बाढ टटवाडा तह0 तलावडा

—वादीगण

बनाम

1. श्रीलाल पुत्र कोरया, गुर्जर निवासी बाढ टटवाडा तह0 तलावडा
2. कुन्जा पुत्र मोती, गुर्जर निवासी बाढ टटवाडा तह0 तलावडा (मृतक)
2/1 मन्नू पुत्र कुन्जा, गुर्जर निवासी बाढ टटवाडा तह0 तलावडा
2/2 रामकुंवार पुत्र कुन्जा, गुर्जर निवासी बाढ टटवाडा तह0 तलावडा

—प्रतिवादीगण

3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा

दावा घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —57/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री बाबूलाल गुप्ता एड. मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का दावा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11-3-26 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.08 14:48:32 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुद्दायलह
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प पर्ची
स्टाम्प वजह सबूत			महनतानावकील पर
महनताना वकील			खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय
बाबत इजराय			हुक्मनामा
हुक्मनामा			मुतफर्रिक
मुतफर्रिक			मीजान
मीजान			

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

(बृजेन्द्र मीणा)
सहायक कलक्टर,
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.08 14:48:32 IST
Reason: SelfAttested